एच. यू. डी. ए. .....अपीलार्थी

बनाम

जगमल सिंह ...प्रतिवादी

(13 जुलाई, 2006)

(न्यायाधिपति डॉ ए आर लक्ष्मणन, न्यायाधिपति लोकेश्वर सिंह पांटा)

श्रम कानूनः दैनिक मजदूरी- बकाया वेतन के साथ बहाली का दावा- 240 कार्य दिवसों की गणना- साक्ष्य से पता चलता है कि श्रमिक ने केवल 204 दिनों के लिए काम किया था-आयोजित, श्रम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों इस तथ्य की सराहना करने में विफल रहे कि श्रमिक ने लाभ का दावा करने के लिए उसे हकदार बनाने के लिए एक वर्ष में 240 दिनों की वैधानिक अवधि पूरी नहीं की।

प्रत्यर्थी को अपीलार्थी द्वारा एक सफाईकर्मी के रूप में दैनिक वेतन पर नियुक्त किया गया था । उसने नौकरी छोड़ दी और साढ़े चार साल बाद श्रम-सह-सुलह अधिकारी के माध्यम से एक मांग नोटिस भेजा जिसमें अपीलार्थी से उसे निरंतर सेवा और बकाया वेतन के साथ बहाल करने के

लिए कहा गया । अपीलार्थी ने जवाब दिया कि प्रत्यर्थी ने वहाँ काम करने वाले तीन वर्षों में से किसी में भी 240 दिनों की सेवा पूरी नहीं की थी । विवाद को औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय में भेजा गया था जिसने प्रतिवादी नियोक्ता के दावे को स्वीकार कर लिया था, रिट याचिका उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थी। व्यथित कर्मचारी ने वर्तमान अपील दायर की।

अपील की अनुमति देते हुए, अदालत ने अभिनिर्धारित किया :

1.1. अपीलार्थी ने श्रम न्यायालय के समक्ष एक बयान प्रस्तुत किया था जिसमें कहा गया था कि प्रत्यर्थी-कर्मचारी ने दैनिक वेतन पर 204 दिन (मार्च, 1994 से फरवरी, 1995 तक) काम किया था, श्रम न्यायालय ने अपीलार्थी के लिपिक के साक्ष्य पर भी विचार किया कि प्रत्यर्थी कार्यकर्ता ने 1.1.1994 से फरवरी 1995 तक 204 दिनों तक काम किया। श्रम न्यायालय के लिए काम किया था, श्रम न्यायालय ने एक वर्ष में 240 दिनों की वैधानिक अवधि की गणना करने में गलती की थी। श्रम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों इस तथ्य को समझने में विफल रहे हैं की प्रतिवादी किसी भी लाभ का दावा करने का हकदार होने के लिए एक वर्ष में 240 दिनों की वैधानिक अवधि को पूरा करने में विफल रहा है। यह स्थापित कानून है कि काम करने वाले को यह साबित करना होगा की उसने 240 दिन काम किया है। मौजूदा मामले में, कर्मचारी ने यह साबित

नहीं किया है की उसने अपीलकर्ता को 240 दिनों की वैधानिक अवधि के लिए सेवा दी है। [538-बी- सी ; ई ; जी- एच ]

1.2 इसके अलावा, प्रत्यर्थी को केवल दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्त किया गया था और इसलिए वह प्रश्नगत पद पर किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकता है जो उसे अपीलकर्ता से किसी भी लाभ का दावा करने का कोई अधिकार नहीं मिला है। जिसे श्रम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा भी नजरअंदाज कर दिया गया है। [538-एफ - जी]

1.3. श्रम न्यायालय द्वारा पारित आदेश और उच्च न्यायालय द्वारा पारित गैर भाषी आदेश को रद्द कर दिया गया है, हालांकि इस न्यायालय के समक्ष अपील के लंबित रहने के दौरान प्रत्यर्थी को यदि कोई भुगतान किया जाता है की वसूली नहीं की जाएगी। [539-ए- बी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील संख्या 5361/2005

(दिनांक 8.4.2004 को चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश, सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 5947/2003 में।)

अपीलार्थी की ओर से- संजय जैन और मुकेश कुमार अधिवक्ता

प्रतिवादी की ओर से- डी. पी. चतुर्वेदी और एस. एन. भट अधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था -

**न्यायाधिपति ए आर लक्ष्मणन**

श्री संजय जैन, अपीलार्थी के विद्वान वकील और श्री डी. पी. चतुर्वेदी, एस. एन. भट प्रतिवादी के विद्वान वकील को सुना।

अपील के विद्वान वकील को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 2003 की सिविल रिट याचिका संख्या 5947 में पारित आदेश के खिलाफ निर्देशित किया गया है। इसमें अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका को बिना कोई कारण बताए खारिज कर दिया गया था।

इसमें प्रत्यर्थी को अपीलार्थी द्वारा सफाईकर्मी के रूप में दिनांक 1.5.1992 को दैनिक मजदूरी पर नियुक्त किया गया था , अपीलार्थीके अनुसार प्रत्यर्थी ने अपने दम पर सेवा छोड़ दी थी, जिसे प्रतिवादी के विद्वान वकील ने विवाद किया है । प्रतिवादी ने श्रम-सह-सुलह अधिकारी, पानीपत के माध्यम से साढ़े चार साल की देरी के बाद एक मांग नोटिस भेजा था, जिसमें अपीलार्थी से निरंतर सेवा के साथ बहाली की मांग की गई थी ,अपीलार्थी ने श्रम-सह- सुलह अधिकारी, पानीपत के समक्ष मांग नोटिस का जवाब दायर किया था, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि प्रत्यर्थी ने

वहाँ काम करने वाले तीन वर्षों में से किसी में भी 240 दिनों की सेवा पूरी नहीं की थी । विवाद को औद्योगिक न्यायाधिकरण , श्रम न्यायालय, पानीपत में भेजा गया था। श्रम न्यायालय ने प्रतिवादी के पक्ष में यह कहते हुए फैसला सुनाया की प्रतिवादी मांग नोटिस की तारीख से सेवा की निरंतरता और पूर्ण वेतन के साथ सेवा में बहाली का हकदार था। अर्थात 11.11.1999 को उक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए औद्योगिक न्यायाधिकरण और श्रम न्यायालय के आदेश को दरकिनार करने की मांग की, जैसा कि पहले कहा गया था, रिट याचिका को खारिज कर दिया।

हमने उच्च न्यायालय और श्रम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों और दोनों पक्षों द्वारा श्रम न्यायालय के समक्ष दिए गए साक्ष्य का अध्ययन किया है। अपीलार्थी के समर्थन में दायर कुछ दस्तावेजों और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया है।

अपीलार्थी ने श्रम न्यायालय के समक्ष अनुलग्नक पी-1 के रूप में चिह्नित कथन भी प्रस्तुत किया था। उपरोक्त कथन से यह देखा जाता है कि प्रतिवादी-श्रमिक ने दैनिक वेतन पर 204 दिनों (मार्च, 1994 से फरवरी, 1995 तक) काम किया था । श्रम न्यायालय ने राजेश कुमार, अपीलार्थी के लिपिक के साक्ष्य पर भी विचार किया कि प्रत्यर्थी-कर्मचारी ने

अपने प्रभाग में 01.01.1994 से फरवरी, 1995 तक 204 दिन तक काम किया है । श्रम न्यायालय ने आगे कहा है कि 01.07.1994 से 31.07.1994 तक के अभिलेख उपलब्ध नहीं थे और इसलिए, प्रबंधन जुलाई, 1994 के महीने का अभिलेख प्रस्तुत करने में विफल रहा है और यदि जुलाई, 1994 के कार्य दिवसों की गणना की गई थी तो कर्मचारी ने 235 दिनों के लिए काम किया है और यदि राजपत्रित छुट्टियों और साप्ताहिक विश्राम को शामिल किया गया था तो निश्चित रूप से कर्मचारी ने प्रबंधन के तहत 240 दिनों से अधिक समय तक काम किया है।

हम श्रम न्यायालय द्वारा किए गए दृष्टिकोण की सराहना करने में असमर्थ हैं। हमारी राय में 240 दिनों की वैधानिक अवधि की गणना करने में, श्रम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों इस तथ्य की सराहना करने में विफल रहे हैं कि प्रतिवादी किसी भी लाभ का दावा करने के लिए उसे हकदार बनाने के लिए एक वर्ष में 240 दिनों की वैधानिक अवधि को पूरा करने में विफल रहा है। जैसा की श्रम न्यायालय के समक्ष उक्त तथ्य के लिए पहले ही नोटिस साक्ष्य पेश किए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी प्रतिवादी की उपस्थिति का मुद्दा उसके पक्ष में तय किया गया है । इसके अलावा प्रत्यर्थी को केवल एक दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्त किया गया था और अपीलार्थी के स्थायी कर्मचारी के रूप में नहीं किया गया था और इसलिए प्रत्यर्थी प्रश्नगत पद पर किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर

सकता है और यह कि उसे अपीलकर्ता से किसी भी लाभ का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है, तथ्य यह है कि श्रम न्यायालय द्वारा अनदेखी की गई है और उच्च न्यायालय द्वारा भी। तथ्य यह भी है कि प्रत्यर्थी ने 240 दिनों की वैधानिक अवधि के लिए काम नहीं किया है जो स्पष्ट रूप से अपिलार्थी द्वारा स्थापित किया गया है । कर्मचारी को यह साबित करना होगा कि उसने 240 दिनों में तत्काल मामले के लिए काम किया था, कर्मचारी ने यह स्थापित नहीं किया है कि उसने अपीलकर्ता की सेवा की है।

परिणामस्वरूप, श्रम न्यायालय द्वारा पारित आदेश और उच्च न्यायालय द्वारा पारित गैर-भाषी आदेश को तदनुसार ऐसा करने के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए और अपीलार्थी द्वारा दायर सिविल अपील की अनुमति दी जानी चाहिए और श्रम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने बहाली और बकाया वेतन का आदेश दिया। कोई लागत नही ।

हम यह भी स्पष्ट करता है कि भुगतान, यदि कोई हो, इस न्यायालय के समक्ष अपील के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी को किया गया है वापस करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

आर. पी.

अपील की अनुमति दी गई ।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा